

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) सिणधरी

पीठासीन अधिकारी :श्री जगदीश सिंह आशिया ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 44/2024

प्रार्थीगण	वनाम	विप्रार्थीगण
मदनलाल पुत्र पोकराराम जाति जाट निवासी डावली नाडी तहसील सिणधरी		1. रावताराम पुत्र हंसाराम जाति प्रजापत निवासी निरीया नाडा 2. जोगाराम पुत्र मोटाराम जाति प्रजापत निवासी पायला कला तहसील सिणधरी 3. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क, आर.टी एक्ट 1955

उपस्थिति-

- श्री जोगराज पोटलिया, वकील प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
- राज.पैरोकार नायब तहसीलदार(उपखण्ड कार्यालय सिणधरी) विप्रार्थी संख्या 03 की ओर से उपस्थित।
- विप्रार्थी संख्या 01 से 02 एकतरफा।

आदेश

दिनांक- 17.01.2025

1.संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं, कि प्रार्थी की सहखातेदारी भूमि खसरा संख्या 289 क्षेत्रफल 5.2181 हैक्टर ग्राम डावली नाडी पटवार मण्डल पायला कला तहसील सिणधरी में अवस्थित है। उक्त खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थी स. 01 से 02 के खेत खसरा संख्या 287 रकबा 4.8540 हैक्टर व खसरा संख्या 288 रकबा 2.3380 हेक्टर आये हुए है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सड़क तक पहुंचने के लिए विप्रार्थी स.1 से 02 की उक्त खसरे में से होकर गुजरना पड़ता है। विप्रार्थी संख्या 01 से 02 भूमि पर काश्त कर इसे अवरुद्ध कर देते हैं। जिससे प्रार्थी को सड़क तक आने जाने में समस्या आती है। इस कारण प्रार्थी को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है,और उक्त प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी के लिए सुविधा जनक है,क्योंकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी



तथा रास्ते की प्रार्थी को आत्यन्तिक आवश्यकता है। अतः प्रार्थी ने ग्राम डाबली नाडी पटवार मण्डल पायला कला तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 287,288 भूमि में होकर गुजरते हुए रास्ते के रूप में प्रयुक्त हो रही भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी खाते में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है।

2. प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थी सं. 1 से 02 को सुनवाई हेतु पर्याप्त असवर दिये जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई गई। विप्रार्थी संख्या 03 की ओर से राज.पैरोंकार नायब तहसीलदार उपस्थित हुए। विवादित भूमि की मौका रिपोर्ट तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई।

3. उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए बहस कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 289 क्षेत्रफल 5.2181 हैक्टर ग्राम डाबली नाडी पटवार मण्डल पायला कला तहसील सिणधरी में अवस्थित है। उक्त खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थी स. 01 से 02 के खेत खसरा संख्या 287 रकबा 4.8540 हैक्टर व खसरा संख्या 288 रकबा 2.3380 हेक्टर ग्राम डाबली नाडी पटवार मण्डल पायला कला तहसील सिणधरी आये हुए है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सड़क तक पहुंचने के लिए विप्रार्थी स.1 से 2 की उक्त खसरो में से होकर गुजरना पड़ता है। विप्रार्थी संख्या 01 से 02 भूमि पर काश्त कर इसे अवरुद्ध कर देते है। जिससे प्रार्थी को सड़क तक आने जाने में समस्या आती है। इस कारण प्रार्थी को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है, और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थी के लिए सुविधा जनक है, क्योंकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है तथा रास्ते की प्रार्थी को आत्यन्तिक आवश्यकता है। आगे ओर कथन किया कि प्रस्तावित रास्ते की तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्तावित नजरी नक्शे के अनुरूप रास्ता दिए जाने की अनुशंघा की गई है। अतः तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के पक्ष में रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त रास्ता राजकीय खाते में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किया जावे। प्रार्थी रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले विप्रार्थीगण को न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि अदा किये जाने से भी सहमत है।

4. विप्रार्थी संख्या 03 की ओर से राज.पैरोंकार नायब तहसीलदार(उपखण्ड कार्यालय सिणधरी) ने बहस में निवेदन किया कि तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार आवेदन पत्र का निस्तारण किया जावे।

5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया और पत्रावली के सलंगन राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया और विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 289 क्षेत्रफल 5.2181 हैक्टर ग्राम डाबली नाडी पटवार मण्डल पायला कला तहसील सिणधरी से सड़क मार्ग के मध्य विप्रार्थी स. 01 से 02 के खेत खसरा संख्या 287 रकबा 4.8540 हैक्टर व खसरा संख्या 288 रकबा 2.3380 हेक्टर ग्राम डाबली नाडी पटवार मण्डल पायला कला तहसील सिणधरी में से होकर चल

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

रहे रास्ता को स्वीकृत करने हेतु आवेदन पेश किया गया। जिसमें तहसीलदार सिणधरी से मौका स्थिति की रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार सिणधरी द्वारा न्यायालय के आदेश की पालना में मौका जांच कर रिपोर्ट पत्र क्रमांक 2946/11.11.2024 के द्वारा पेश की गई। जिसमें स्पष्ट अंकन किया कि मौजा डावली नाडी पटवार मण्डल पायला कला की खसरा संख्या 289 में पहुंचने के लिए खसरा संख्या 287,288 में से होकर गुजरना पड़ता है, और इसके अलावा अन्य कोई विकल्प रास्ता नहीं है। इससे स्पष्ट होता है, कि प्रार्थी को अपने खेत से होकर मुख्य सड़क तक पहुंचने के लिए उक्त खेतों में से होकर गुजरना पड़ता है और अन्य विकल्प रास्ता नहीं है। इससे स्पष्ट साबित होता है, कि प्रार्थी को अपने खेत से होकर मुख्य सड़क मार्ग तक पहुंचने के लिए प्रस्तावित रास्ता ही एकमात्र वैकल्पिक है। विप्रार्थी संख्या 01 व 02 को न्यायालय से जरिये रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया था। विप्रार्थीगण के रजिस्टर्ड नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थी सं. 1 से 2 को सुनवाई हेतु पर्याप्त असावर दिये जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई गई। विप्रार्थी संख्या 03 की ओर से राज.पैरोंकार नायब तहसीलदार उपस्थित हुए। इससे प्रतीत होता है कि विप्रार्थीगण, प्रार्थी द्वारा चाही गई इस्तदुआ से भली-भांली जानकार है तथा जानबूझकर प्रकरण में निस्तारण हेतु स्वयं उपस्थित नहीं हो रहे अथवा प्रार्थी की इस्तदुआ से सहमत है। परन्तु तहसीलदार की रिपोर्ट से प्रमाणित है कि प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई विकल्प रास्ता भी नहीं है इस प्रकार रास्ते हेतु ग्राम डावली नाडी पटवार मण्डल पायला कला के खेत खसरा संख्या 287 में लम्बाई 35 गट्टा एवं चौड़ाई 03 गट्टा रकबा 0.0405 हैक्टर व खसरा संख्या 288 में लम्बाई 60 गट्टा एवं चौड़ाई 03 गट्टा रकबा 0.0728 हैक्टर का रास्ता प्रस्तावित किया गया। उक्त प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर अंशित सड़क के पास राशि-629108/- रूपये प्रति हैक्टर है। नियमानुसार रास्ते में प्रभावित भूमि के खातेदारान को उक्त भूमि की डी.एल.सी दर से दुगुनी राशि प्रार्थी से दिलवाने जाने का प्रावधान है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है, कि प्रार्थी को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है और उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी रास्ता पाने के हकदार है।

6. लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम डावली नाडी पटवार मण्डल पायला कला के खेत खसरा संख्या 287 में लम्बाई 35 गट्टा एवं चौड़ाई 03 गट्टा रकबा 0.0405 हैक्टर व खसरा संख्या 288 में लम्बाई 60 गट्टा एवं चौड़ाई 03 गट्टा रकबा 0.0728 हैक्टर तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्तावित मौका रिपोर्ट के सलग्न दर्शित नक्शे में बरंग हरा कलर ——दर्शाये अनुसार चौड़ा रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तहसीलदार सिणधरी को विप्रार्थी संख्या 01 से 02 को क्षतिपूर्ति की गणना कर भुगतान हेतु तहसील कार्यालय सिणधरी में संधारित जी.ए.55 रसीद के जरिये राजकोष में जमा करवाये जाने पर उपरोक्तानुसार में प्रस्तावित रकवानुसार रास्ते में जाने वाली भूमि का राजकीय खाते में गैर मुंमकिन रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरुस्ती

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सिणधरी के पत्र क्रमांक: भू.अ./2024/2946 दिनांक 11.11.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा उक्त आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

(जगदीश सिंह आशिया.)

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 17.01.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी